न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 106/2018

1. श्रीमती नीला पत्नी हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी मानपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीयां

बनाम

1. श्रीमती कान्ता पत्नी गणेश जाति कलाल निवासी मानपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

3. श्रीमती लाली पत्नी लादू जाति कलाल निवासी मानपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

प्रफोर्मा अप्रार्थीयां

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री अजय कुमार सैनी, प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 05.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम मानपुरा तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

(अ) विवरण आराजीयात

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
191	130	0.55 है.	बा.3

(ब) विवरण आराजीयात

7	325/371	0.16 है.	बा.3

(स) विवरण आराजीयात

1	329	0.02	बा.3

यह कि वर्णित आराजीयात के भाग सं. अ में प्रार्थीयां व प्रफोर्मा अप्रार्थीयां की संयुक्त रूप से बतौर खातेदारी 1/2 हिस्सा में दर्ज है। वर्णित भाग सं. ब में अप्रार्थीयां सं. 01 के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज है। वर्णित भाग सं. स में अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त हिस्से में दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात ख. नं. 130 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीयां एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीयां के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उत्तर दिशा में खेतों में जाने का रास्त एवं दक्षिण दिशा में मानपुरा से हिंगोनियां जाने वाली मुख्य सड़क स्थित है लेकिन राजस्व अधिकारियों ने राजस्व नक्शा तरमीम करते समय प्रार्थीयां की आराजीयात के मध्य अप्रार्थीयां सं. 01 का त्रिभुज नुमा दर्शित कर दिया गया है। उक्त आराजीयात राजस्व अधिकारियों के द्वारा राजस्व नक्शें में तरमीम की गई है लेकिन उक्त त्रिभुज नुमा आराजीयात को राजस्व नक्शें में तरमीम करते हुये भुल व सहवन से अप्रार्थीयां सं. 01 के नाम दर्ज कर दी जो कि कतई गलत एवं दुरूस्त होने योग्य है। यह कि वर्णित आराजीयात प्रार्थीयां एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीयां व अप्रार्थीयां सं. 01 के खसरा नं. 130 व खसरा नं. 325/371 वर्तमान राजस्व नक्शें में दर्ज है। जिसके पश्चिम दिशा में अप्रार्थीयां सं. 01 के नाम

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दर्ज है। पूर्व नक्शा ट्रेस में खसरा नं. 325/371 राजस्व नक्शें में सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित थी जो कि वर्तमान में खसरा नं. 329 है। जो कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम सवाईचक खातें में दर्ज है परंतु मिलान खसरा सं. के अनुसार 329 पूर्व में खसरा नं. 172 से बना हुआ है जो कि वर्तमान नक्शें में कोई नंबर दर्शाया नहीं गया है तथा पूर्व के नक्शें में खसरा नं. 130 के पश्चिम कें कोई खसरा नंबर दर्ज नहीं था तथा उक्त खसरा नं. 130 एक ही नक्शा था परंतु वक्त भू प्रबंधक कार्यवाही के दौरान उक्त गलत खसरा नं. इन्द्राज कर दिया गया है। यह कि अप्रार्थीयां सं. 1 के खसरा नंबर 325/371 की सीमायें नक्शें के अनुसार गलत तरमीम होकर प्रार्थीयां के खसरा नं. 130 में राजस्व अधिकारियों ने राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी है जबकि उक्त तरमीम की जगह मौके पर नहीं है। मात्र राजस्व नक्शें में तरमीम हो जाने के कारण ही अप्रार्थीगण नाजायज व अनाधिकृत तरीके से प्रार्थीयां की खातेदारी पर कब्जा करना चाहती है। इसलिये उक्त राजस्व नक्शें को दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थीयां को दिनांक 25.06.2018 से लगातार धमकियां देते हुये लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो रहे है तथा अब आये दिन वाद ग्रस्त आराजीयात पर कब्जा करने की धमकी दे रहे है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुराने दस्तावेजों के अनुसार भी उक्त त्रिभुज नुमा आराजीयात ख. नं. 325/371 का किसी भी प्रकार को कोई वर्णन नहीं है। मात्र राजस्व अधिकारियों की भूल एवं सहवन से उक्त त्रिभुज नुमा नक्शें में तरमीम हो जाने के कारण अप्रार्थीगण के नाम गलत इन्द्राज हो जाने के कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत होने की वजह से उक्त राजस्व नक्शा में हुई तरमीम को दुरूस्त किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 राजस्व लेण्ड हॉल्डर होने के कारण एवं राजस्व रिकॉर्ड में संधारण होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है एवं प्रार्थना पत्र अतिशीघ्र प्रवृति का होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 राजकीय सेवा में होने के कारण धारा 80 जाप्ता दीवानी के नोटिस में छूट दिया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मानपुरा संवत् 2069—2088
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मानपुरा संवत् 2069—2088
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम मानपुरा संवत् 2069—2088
- प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस ग्राम मानपुरा
- प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल ग्राम मानपुरा

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार का सेटल पेजशन माने जाने की अवधारणा है एवं कब्जे के बाबत अप्रार्थीगणों द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु पेश नहीं किए है। अतः प्रार्थी का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

चूंकि प्रार्थी के पक्ष में पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही संभावित है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल ना करे तथा भूमि के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.18 16:48:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: